

पीठासीन अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- संतोष करोल

वाद सं. 336 / 2014

उनवान

1. जानकी देवी पत्नी श्री नन्छूराम उर्फ नानूराम उम्र 50 वर्ष
  2. महेश कुमार पुत्र श्री नन्छूराम उर्फ नानूराम उम्र 35 वर्ष
  3. सजना देवी पुत्री श्री नन्छूराम उर्फ नानूराम उम्र 30 वर्ष
  4. बाबूलाल पुत्र रमसू उम्र 43 वर्ष
  5. कैलाश पुत्र रामू उर्फ रामलाल उम्र 40 वर्ष
  6. अर्जुन पुत्र रामू उर्फ रामलाल 36 वर्ष
  7. गौरा देवी पत्नी रामेश्वरप्रसाद उम्र 69 वर्ष
  8. सुण्डाराम पुत्र श्री रामेश्वरप्रसाद उम्र 35 वर्ष
- समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र रामनिवास उम्र 65 वर्ष
  2. महादेव पुत्र नानू उम्र 66 वर्ष
  3. सूणी देवी पत्नी नारायण उम्र 75 वर्ष
  4. शैतान पुत्र नारायण उम्र 47 वर्ष
  5. लक्ष्मण पुत्र नारायण उम्र 45 वर्ष
  6. सुवा पुत्र नारायण उम्र 40 वर्ष
  7. कालू पुत्र नारायण उम्र 35 वर्ष
  8. शंकर पुत्र नारायण उम्र 33 वर्ष
  9. सुशील कुमार पुत्र नारायण उम्र 31 वर्ष
- समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
10. बिदाम देवी पत्नी झूंथाराम पुत्री नारायण उम्र 46 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम मोडी वाया रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
  11. नाना देवी पत्नी भगवानसहाय पुत्री नारायण उम्र 44 वर्ष
  12. गोकुल देवी पत्नी राजेन्द्र पुत्री नारायण उम्र 36 वर्ष
- समस्त जाति जाट, निवासीयान् ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
13. सरजू देवी पत्नी धन्नाराम पुत्री नारायण उम्र 32 वर्ष जाति जाट, निवासी उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
  14. धन्नी देवी पत्नी मंगला उम्र 75 वर्ष
  15. प्रहलाद पुत्र मंगला, उम्र 40 वर्ष
- समस्त जाति जाट, निवासीयान् ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
16. हनुमासन पुत्र मंगला उम्र 55 वर्ष
  17. सांवरमल पुत्र मंगला उम्र 53 वर्ष
  18. श्रवण पुत्र रामनाथ पौत्र मंगला उम्र 36 वर्ष
  19. मोहन पुत्र रामनाथ पौत्र मंगला उम्र 33 वर्ष
  20. राजेन्द्र पुत्र रामनाथ पौत्र मंगला उम्र 32 वर्ष
  21. मनभरी पत्नी रामनाथ उम्र 60 वर्ष
- समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

17/4  
उपखण्ड अधिकारी  
चौमूं, जिला जयपुर

22. शमरी देवी पुत्री मंगला पत्नी गुलाबचन्द, उम्र 50 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
23. संतोष देवी पत्नी गोपाल पुत्री रामनाथ, उम्र 35 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
24. सोनी देवी पत्नी श्री मालीराम पुत्री रामनाथ, उम्र 33 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम हाथनौदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौरान वाद)  
24/1 पूजा पुत्री सोनी देवी  
24/2 अजय पुत्र सोनी देवी  
नाबालिग जरिये संरक्षक पिता मालीराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाथनौदा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
25. बरजी देवी पत्नी लक्ष्मण उम्र 62 वर्ष
26. सूरजमल पुत्र लक्ष्मण उम्र 32 वर्ष  
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
27. भगवानी देवी पत्नी सुरज्ञान पुत्री लक्ष्मण उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कापडियावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
28. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं जिला जयपुर।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
30. यूको बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
31. केनरा बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
32. कानाराम पुत्र रमसू, उम्र 37 वर्ष
33. गोरा देवी पत्नी रमसू, उम्र 65 वर्ष
34. मोहनलाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद उम्र 34 वर्ष
35. मांगीलाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद उम्र 33 वर्ष
36. औमप्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद उम्र 32 वर्ष  
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:- 19.08.2019

व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 22.06.2018 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से दिनांक 14.03.2019 को कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 16, 17, 18, 26 ने प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरेजात प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि विवादग्रस्त आराजीयात बाबत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् का कतई ध्यान नहीं रखा गया हैं, सारी हल्की व सारी उत्तम कोठी की भूमि किसी भी पक्षकार को नहीं दी जा सकती, इस विवादग्रस्त आराजीयात में 11,000 अक्षरे ग्यारह हजार वोल्टेज की विद्युत लाईन, पोल व लाईन गुजर रही हैं, साथ ही डामरीकृत सड़क पर भी विवादग्रस्त आराजीयात अवस्थित हैं ऐसे में ग्यारह हजार वोल्टेज वाली भूमि का विभाजन हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 व डामरीकृत सड़क पर अवस्थित भूमि पर भी हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 वादीगण, प्रतिवादीगण को दिया जाना कानूनन न्यायोचित एवं आवश्यक है जबकि कुरेजात रिपोर्ट में ऐसा नहीं हैं, इसलिए तकासमा कानून खिलाफ होने से इस कुरेजात रिपोर्ट को निरस्त फरमाया जाकर नये सिरे से कुरेजात रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं।

वकील वादी नक्शे कुरेजात आपत्ति प्रा. पत्र पर जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस किये जाने की इस्तदुआ करने पर बहस कुरेजात आपत्ति प्रा.पत्र सुनी गई। अधिवक्ता वादी

ने अपनी बहस में कथन कर निवेदन किया है कि तहसीलदार चोमू से प्राप्त कुरेजात रास्ते की सुविधा, मकानात आदि को ध्यान में रखते हुए प्राप्त हुये हैं। उक्त कुरेजात में खसरा नम्बर 1137, 1138, 1139 प्रतिवादी के हक में आया है क्योंकि उक्त खसरा नम्बरान पर प्रतिवादी का कब्जा रहवास है तथा प्रतिवादीगण को उनके कब्जे काशत व आवास निवास के साथ ही रास्ते को मध्यनजर रखते हुये कुरेजात तैयार किये गये हैं। प्रतिवादीगण को उनके कब्जे काशत के अनुसार ही बटवारे में आयी भूमि प्रदत्त की गई है। इसलिए तहसीलदार चोमू द्वारा वाद में वर्णित भूमि का मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुये कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। जो सही होने के कारण स्वीकार योग्य है। वादीगण के वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 2 के अलावा अन्य प्रतिवादीगण ने कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया। उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण को उनके हिस्से में आयी भूमियों को एकीकरण के आधार पर भी कुरेजात में सही तरीके से विभक्त किया है। अन्यथा उक्त भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती जिससे पक्षकारान को उक्त भूमि को जोतने में भयंकर असुविधा उत्पन्न होती एवं आये दिन झगडा फसाद होता जिससे वाद बाहुलता बढ़ने की संभावने अधिक होती। इसलिए कुरेजात सही होने के कारण डिक्री किये जाने के योग्य है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजित नहीं किया जाकर मनमानी तौर पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। क्योंकि उक्त भूमि को तीन हिस्सों में बांटा जाना आवश्यक था। जिसके अनुसार कुरेजात रिपोर्ट तैयार नहीं की जाकर तहसीलदार चोमू द्वारा मनमाने तरीके से कुरेजात रिपोर्ट तैयार किये गये हैं। जबकि उक्त भूमि में से 11,000 वोल्टेज की लाईन गुजर रही है। जिसको प्रतिवादीगण के हिस्से में ही दे दी गई जबकि उक्त विद्युत लाईन के नीचे सभी पक्षकारों को हिस्से अनुसार बराबर-बराबर भूमि दिया जाना आवश्यक था। वादीगण को डामरीकरत रोड के लगवा भूमि वादीगण को दे दी गई। प्रतिवादीगण को उक्त रोड के लगवा भूमि नहीं दी जाकर तहसीलदार चोमू ने कुरेजात बनाने में भारी गलती की है। जिस कारण भी उक्त कुरेजात को निरस्त किया जाकर वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रतिवादीगण का प्रा. पत्र बाबत एतराज कुरेजात खारिज किया जाकर वादी का वाद तहसीलदार चोमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 14.03.2019 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1137, 1139, 1140, 1141, 1145, 1146, 1147, 1151 कुल कित्ता 22 का कुल रकबा 5.40 हैक्टेयर वाके ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, तहसील चोमू जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चोमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. बाबुलाल, कानाराम पि० रमसु, गोरा पत्नी रमसु हि० 1/4 राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा कैलाश, अर्जुन पि० रामु उर्फ रामलाल हि० 1/4 गौरा देवी पत्नी रामेश्वरप्रसाद, सुण्डाराम, मोहनलाल, मांगीलाल, ओमप्रकाश पि० रामेश्वरप्रसाद हि० 1/4 जानकीदेवी पत्नी नन्धूराम उर्फ नानूराम, महेशकुमार, सजनादेवी पि० नन्धूराम उर्फ नानूराम हि० 1/4 जाति जाट सा० देह को ख.न. 1126/2 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.न. 1126/5 रकबा 0.08 हैक्ट., ख.न. 1128 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.न. 1132 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.न. 1133 रकबा 0.20 हैक्ट., ख.न. 1134 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 1136 रकबा 0.25 हैक्ट., ख.न. 1140 रकबा 0.19 हैक्ट., ख.न. 1141 रकबा 0.38 हैक्ट. कुल कित्ता 9 का कुल रकबा 1.77 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।
2. रामकुंवार पुत्र रामनिवास हि० 1/7 राहिन केनरा बैंक शाखा जैतपुरा मुर्तहीन महादेव पुत्र नानु हि० 1/7 बाबुलाल, कानाराम पि० रमसु, गोरा पत्नी रमसु हि० 3/28 राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा सुणी पत्नी नारायण, बिदामीदेवी, नानादेवी, सरजुदेवी,


उपरोक्त कार्य  
चोमू जिला जयपुर

गोकुलदेवी पुत्रियां नारायण, शैतान, लक्ष्मण, सुवा, कालु, शंकर, सुशीलकुमार पुत्रान नारायण हि0 1/7 कैलाश, अर्जुन पि0 रामु उर्फ रामलाल हि0 3/28 गोरादेवी पत्नी रामेश्वरप्रसाद, सुण्डाराम, मोहनलाल, मांगीलाल, ओमप्रकाश पि0 रामेश्वरप्रसाद हि0 3/28 जानकीदेवी पत्नी नन्छूराम उर्फ नानूराम, महेशकुमार, सजनादेवी पि0 नन्छूराम उर्फ नानूराम हि0 3/28 हनुमान, सांवरमल, प्रहलाद पि0 मंगला हि0 3/49 धन्नीदेवी पत्नी मंगला हि0 1/49 झमरीदेवी पुत्री मंगला हि0 1/49 श्रवण, मोहन, राजेन्द्र, सन्तोषदेवी, सोनीदेवी पि0 रामनाथ, मनभरीदेवी पत्नी रामनाथ हि0 1/49 भगवानी देवी, सुरजमल पि0 लक्ष्मण, बरजीदेवी पत्नी लक्ष्मण हि0 1/49 जाति जाट सा0 देह खातेदार को ख.न. 1125/2 रकबा 0.02 हैक्ट., ख.न. 1126 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.न. 1127 रकबा 0.01 हैक्ट. कुल किता 3 का कुल रकबा 0.07 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

3. रामकुंवार पुत्र रामनिवास हि. 1/4 राहिन केनरा बैंक शाखा जैतपुरा महादेव पुत्र नानु हि0 1/4 राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा सुणी पत्नी नारायण, बिदामीदेवी, नानादेवी, सरजुदेवी, गोकुलदेवी पुत्रियां नारायण, शैतान, लक्ष्मण, सुवा, कालु, शंकर, सुशीलकुमार पुत्रान नारायण हि0 1/4 हनुमान, सांवरमल, प्रहलाद पि0 मंगला हि0 3/28 धन्नीदेवी पत्नी मंगला हि0 1/28 झमरीदेवी पुत्री मंगला हि0 1/28 श्रवण, मोहन, राजेन्द्र, सन्तोषदेवी, सोनीदेवी पि0 रामनाथ, मनभरीदेवी पत्नी रामनाथ हि0 1/28 भगवानीदेवी, सुरजमल पि0 लक्ष्मण, बरजीदेवी पत्नी लक्ष्मण हि0 1/28 जाति जाट सा0 देह खातेदार को ख.न. 1125/1 रकबा 0.12 हैक्ट., ख.नं. 1125/3 रकबा 0.30 हैक्ट., ख. न. 1126/1 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.नं. 1126/1 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.न. 1126/4 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.नं. 1124 रकबा 0.15 हैक्ट., ख.न. 1129 रकबा 0.13 हैक्ट., ख.नं. 1130 रकबा 0.34 हैक्ट., ख.न. 1131 रकबा 0.31 हैक्ट., ख.नं. 1135 रकबा 0.26 हैक्ट., ख.न. 1137 रकबा 0.19 हैक्ट., ख.नं. 1138 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.न. 1139 रकबा 0.23 हैक्ट., ख.नं. 1145 रकबा 0.20 हैक्ट., ख.न. 1146 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.नं. 1147 रकबा 0.31 हैक्ट., ख.नं. 1151 रकबा 0.20 कुल किता 16 का कुल रकबा 3.56 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में संतरा रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

  
संतोष करील  
आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्दादाई

(ओं 20 रूल्स 8 व 7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व  
अजलास संतोष करोल आरएएस

1. जानकी देवी पत्नी श्री नन्छूराम उर्फ नानूराम उम्र 50 वर्ष
  2. महेश कुमार पुत्र श्री नन्छूराम उर्फ नानूराम उम्र 35 वर्ष
  3. सजना देवी पुत्री श्री नन्छूराम उर्फ नानूराम उम्र 30 वर्ष
  4. बाबूलाल पुत्र रमसू उम्र 43 वर्ष
  5. कैलाश पुत्र रामू उर्फ रामलाल उम्र 40 वर्ष
  6. अर्जुन पुत्र रामू उर्फ रामलाल 36 वर्ष
  7. गौरा देवी पत्नी रामेश्वरप्रसाद उम्र 69 वर्ष
  8. सुण्डाराम पुत्र श्री रामेश्वरप्रसाद उम्र 35 वर्ष
- समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र रामनिवास उम्र 65 वर्ष
2. महादेव पुत्र नानू उम्र 66 वर्ष
3. सूणी देवी पत्नी नारायण उम्र 75 वर्ष
4. शैतान पुत्र नारायण उम्र 47 वर्ष
5. लक्ष्मण पुत्र नारायण उम्र 45 वर्ष
6. सुवा पुत्र नारायण उम्र 40 वर्ष
7. कालू पुत्र नारायण उम्र 35 वर्ष
8. शंकर पुत्र नारायण उम्र 33 वर्ष
9. सुशील कुमार पुत्र नारायण उम्र 31 वर्ष  
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर
10. बिदाम देवी पत्नी झूंथाराम पुत्री नारायण उम्र 46 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम मोडी वाया  
रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. नाना देवी पत्नी भगवानसहाय पुत्री नारायण उम्र 44 वर्ष
12. गोकुल देवी पत्नी राजेन्द्र पुत्री नारायण उम्र 36 वर्ष  
समस्त जाति जाट, निवासीयान् ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
13. सरजू देवी पत्नी धन्नाराम पुत्री नारायण उम्र 32 वर्ष जाति जाट, निवासी उदयपुरिया,  
तहसील चौमूं जिला जयपुर।
14. धन्नी देवी पत्नी मंगला उम्र 75 वर्ष
15. प्रहलाद पुत्र मंगला, उम्र 40 वर्ष  
समस्त जाति जाट, निवासीयान् ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
16. हनुमासन पुत्र मंगला उम्र 55 वर्ष
17. सांवरमल पुत्र मंगला उम्र 53 वर्ष
18. श्रवण पुत्र रामनाथ पौत्र मंगला उम्र 36 वर्ष
19. मोहन पुत्र रामनाथ पौत्र मंगला उम्र 33 वर्ष
20. राजेन्द्र पुत्र रामनाथ पौत्र मंगला उम्र 32 वर्ष
21. मनभरी पत्नी रामनाथ उम्र 60 वर्ष  
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा,  
तहसील आमेर, जिला जयपुर।
22. झमरी देवी पुत्री मंगला पत्नी गुलाबचन्द, उम्र 50 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी,  
तहसील चौमूं जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी  
चौमूं जिला जयपुर

- संतोष देवी पत्नी गोपाल पुत्री रामनाथ, उम्र 35 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
24. सोनी देवी पत्नी श्री मालीराम पुत्री रामनाथ, उम्र 33 वर्ष जाति जाट, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौरान वाद)
- 24/1 पूजा पुत्री सोनी देवी
- 24/2 अजय पुत्र सोनी देवी
- नाबालिग जरिये संरक्षक पिता मालीराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
25. बरजी देवी पत्नी लक्ष्मण उम्र 62 वर्ष
26. सूरजमल पुत्र लक्ष्मण उम्र 32 वर्ष
- समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर
27. भगवानी देवी पत्नी सुरज्ञान पुत्री लक्ष्मण उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कापडियावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
28. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं जिला जयपुर।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
30. यूको बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
31. केनरा बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
32. कानाराम पुत्र रमसू, उम्र 37 वर्ष
33. गोरा देवी पत्नी रमसू, उम्र 65 वर्ष
34. मोहनलाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद उम्र 34 वर्ष
35. मांगीलाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद उम्र 33 वर्ष
36. ओमप्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद उम्र 32 वर्ष
- समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 336/2014

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रुबरू संतोष करोल आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

- बाबुलाल, कानाराम पि० रमसु, गोरा पत्नी रमसु हि० 1/4 राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा कैलाश, अर्जुन पि० रामु उर्फ रामलाल हि० 1/4 गोरा देवी पत्नी रामेश्वरप्रसाद, सुण्डाराम, मोहनलाल, मांगीलाल, ओमप्रकाश पि० रामेश्वरप्रसाद हि० 1/4 जानकीदेवी पत्नी नन्चूराम उर्फ नानूराम, महेशकुमार, सजनादेवी पि० नन्चूराम उर्फ नानूराम हि० 1/4 जाति जाट सा० देह को ख.न. 1126/2 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.नं. 1126/5 रकबा 0.08 हैक्ट., ख.न. 1128 रकबा 0.17 हैक्ट., ख.नं. 1132 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.न. 1133 रकबा 0.20 हैक्ट., ख.नं. 1134 रकबा 0.09 हैक्ट., ख.न. 1136 रकबा 0.25 हैक्ट., ख.नं. 1140 रकबा 0.19 हैक्ट., ख.न. 1141 रकबा 0.38 हैक्ट. कुल किता 9 का कुल रकबा 1.77 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
- रामकुंवार पुत्र रामनिवास हि० 1/7 राहिन केनरा बैंक शाखा जैतपुरा मुर्तहीन महादेव पुत्र नानु हि० 1/7 बाबुलाल, कानाराम पि० रमसु, गोरा पत्नी रमसु हि० 3/28 राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा सुणी पत्नी नारायण, बिदामीदेवी, नानादेवी, सरजुदेवी, गोकुलदेवी पुत्रियां नारायण, शैतान, लक्ष्मण, सुवा, कालु, शंकर, सुशीलकुमार पुत्रान नारायण हि० 1/7 कैलाश, अर्जुन पि० रामु उर्फ रामलाल हि० 3/28 गोरादेवी पत्नी रामेश्वरप्रसाद, सुण्डाराम, मोहनलाल, मांगीलाल, ओमप्रकाश पि० रामेश्वरप्रसाद हि०

उपपंजीयक  
चौमूं, जिला जयपुर

3/28 जानकीदेवी पत्नी नन्धूराम उर्फ नानूराम, महेशकुमार, सजनादेवी पि0 नन्धूराम उर्फ नानूराम हि0 3/28 हनुमान, सांवरमल, प्रहलाद पि0 मंगला हि0 3/49 धन्नीदेवी पत्नी मंगला हि0 1/49 झमरीदेवी पुत्री मंगला हि0 1/49 श्रवण, मोहन, राजेन्द्र, सन्तोषदेवी, सोनीदेवी पि0 रामनाथ, मनभरीदेवी पत्नी रामनाथ हि0 1/49 भगवानी देवी, सुरजमल पि0 लक्ष्मण, बरजीदेवी पत्नी लक्ष्मण हि0 1/49 जाति जाट सा0 देह खातेदार को ख.न. 1125/2 रकबा 0.02 हैक्ट., ख.न. 1126 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.न. 1127 रकबा 0.01 हैक्ट. कुल किता 3 का कुल रकबा 0.07 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

3. रामकुंवार पुत्र रामनिवास हि. 1/4 राहिन केनरा बैंक शाखा जैतपुरा महादेव पुत्र नानु हि0 1/4 राहिन यूको बैंक शाखा जैतपुरा सुणी पत्नी नारायण, बिदामीदेवी, नानादेवी, सरजुदेवी, गोकुलदेवी पुत्रियां नारायण, शैतान, लक्ष्मण, सुवा, कालु, शंकर, सुशीलकुमार पुत्रान नारायण हि0 1/4 हनुमान, सांवरमल, प्रहलाद पि0 मंगला हि0 3/28 धन्नीदेवी पत्नी मंगला हि0 1/28 झमरीदेवी पुत्री मंगला हि0 1/28 श्रवण, मोहन, राजेन्द्र, सन्तोषदेवी, सोनीदेवी पि0 रामनाथ, मनभरीदेवी पत्नी रामनाथ हि0 1/28 भगवानीदेवी, सुरजमल पि0 लक्ष्मण, बरजीदेवी पत्नी लक्ष्मण हि0 1/28 जाति जाट सा0 देह खातेदार को ख.न. 1125/1 रकबा 0.12 हैक्ट., ख.न. 1125/3 रकबा 0.30 हैक्ट., ख. न. 1126/1 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.न. 1126/1 रकबा 0.16 हैक्ट., ख.न. 1126/4 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 1124 रकबा 0.15 हैक्ट., ख.न. 1129 रकबा 0.13 हैक्ट., ख.न. 1130 रकबा 0.34 हैक्ट., ख.न. 1131 रकबा 0.31 हैक्ट., ख.न. 1135 रकबा 0.26 हैक्ट., ख.न. 1137 रकबा 0.19 हैक्ट., ख.न. 1138 रकबा 0.21 हैक्ट., ख.न. 1139 रकबा 0.23 हैक्ट., ख.न. 1145 रकबा 0.20 हैक्ट., ख.न. 1146 रकबा 0.35 हैक्ट., ख.न. 1147 रकबा 0.31 हैक्ट., ख.न. 1151 रकबा 0.20 कुल किता 16 का कुल रकबा 3.56 हैक्ट., जो संलग्न नजरी नक्शे में संतरा रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

बसरात मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.08.2019 को जारी किया गया ।

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	3	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	3	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

दस्तखत .....  
ओहदा .....  
उपखण्ड अधिकारी  
चौमू जिला जयपुर